–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 50/2023

उनवान

1. रामपाली पत्नी नरसी
2. जगदीश उर्फ चन्द्रप्रकाश
3. संतोष
4. जमना
5. माया
6. सुमन पि. नरसी समस्त जाति माली निवासी ग्राम राताखेडा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र जेठिया
2. मधु (तर्क)
3. भंवरी (तर्क)
4. ओमप्रकाश पि. जेठिया
5. रविन्द
6. रविशंकर
7. रोहित
8. लीलादेवी
9. रजत पि. कालू समस्त जाति माली निवासी ग्राम राताखेडा, नसीराबाद
10. मैनेजर राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नसीराबाद
11. उप पंजीयक, नसीराबाद
12. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–: प्रतिवादीगण :– 1 से 10 अनुपस्थित,
11 व 12 जरियें राज. पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

<u>वद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

दिनांक :– 12.11.25

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राताखेडा में स्थित आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम :– राताखेडा

वंर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	[illegible]सरा नम्बर	रकबा
		39	0.35
97	2–5–0	328	0.02
207	0–15–10	327	0.11

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

213	0–18–10	336	0.02
		337	0.13
215	0–13–10	340	0.11
219	1–2–10	341	0.18
223	0–11–10	329	0.04
		330	0.05
229	0–3–0	178	0.02
231	0–5–0	177	0.04
235	1–3–10	168	0.19
254	1–16–10	345	0.30
590	1–12–0	505	0.10
593	6–0–0	497	0.97

ग्राम बारापत्थर :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
473	1–5–10	567	0.21

उपरोक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में खातेदार हनुमान पुत्र मूला 1/2 हिस्सा व जेठिया पुत्र पोखर व नरसी पुत्र पोखर 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज थी। हनुमान पुत्र नाऔलाद फौत हो गया है। जिसके वारिस जेठिया व पोखर ही है। जेठिया की भी मृत्यु हो गयी है के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 9 है। जिनका आराजी मुतनाजा पर 1/2 हिस्सा है। नरसी पुत्र पोखर की मृत्यु हो गयी हे जिसके वारिस वादीगण का भी उक्त आराजी पर 1/2 हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 रमेशचन्द पुत्र जेठिया को गलत तरीके से बिना गोदनामा गोदपुत्र के फर्जी व कूटरचित तरीके से रमेशचन्द पुत्र हनुमान अंकन कर 1/2 हिस्सा गलत अंकित कर दिया। हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण का 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा गलत अंकित कर दिया। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर पर वादीगण को बेदखल करने व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीण 1 से 10 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने प्रकरण विचारण के दौरान वाद पत्र में संशोधन कर अन्य आराजी भी वाद पत्र में न्यायालय अनुमति से अंकित की। वाद पत्र में अन्य आराजी संशोधन करने के कारण प्रतिवादीगण की तलबी पुनः जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, अपर जिला न्यायाधीश, नसीराबाद का निर्णय, प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश की तथा वादी रामपाली का शपथ पत्र पेश किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व [illegible] की बहस पर मनन किया। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 82/92 किता 20 र[illegible] 46[illegible]0 की आराजी हनुमान पि. मूला 1/2 हिस्सा, जेठिया व नरसी पि. पोखर 1/2 हिस्सा [illegible] नामान्तकरण संख्या 33 द्वारा उक्त आराजी पर मृतक हनुमान पि. मूला 1/2 हिस्सा [illegible] स्थान पर रमेशचन्द मुतबन्ना हनुमान का अंकन स्वीकार किया गया। हाल राजस्व अभिलेख [illegible] उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 रमेशचन्द का 1/2 हिस्सा ही दर्ज है। वादीगण जो कि नरसी पुत्र पोखर के

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वारिस है का कथन है कि आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बिना किसी गोदनामें के फर्जी तरीके से अंकित किया है। नामान्तकरण संख्या 33 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण द्वारा मृतक हनुमान पुत्र मूला को दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 को दर्शाया है। बिना पंजीबद्व गोदनामें के तथा न्यायालय के आदेश के बिना उक्त नामान्तकरण में प्रतिवादी संख्या 1 को हनुमान पुत्र मूला का दत्तक पुत्र अंकित किया है। गोदनामें के अभाव में तस्दीकर्ता अधिकारी को पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिये था। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को हनुमान पुत्र मूला का दत्तक पुत्र अंकित करने पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व थाना नसीराबाद सदर में पेश की है। साथ ही न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश नसीराबाद द्वारा उक्त सबंध में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2025 की प्रति भी पेश की है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा नामान्तकरण संख्या 33 द्वारा अंकित किया है। उक्त नामान्तकरण बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना विस्तृत जॉच के तस्दीक किया है। गोदनामें के अभाव में उक्त नामान्तकरण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को हनुमान पुत्र मूला के हिस्से की आराजी 1/2 हिस्सा अंकन करना त्रुटिपूर्ण है जबकि हनुमान पुत्र मूला के हिस्से पर जेठिया, नरसी पि. पोखर का बराबर हिस्सा निहित है। ग्राम बारापत्थर के वंर्किग खसरा नम्बर 473 वंर्किग जमाबंदी में बंशी व सूजा पित्र काना 9 हिस्सा, हनमान पुत्र मूला 4.5 हिस्सा, जेठिया, नरसी पि. पोखर 4.5 हिस्सा, मोती पुत्र लादू 6 हिस्सा कुल 24 हिस्सा दर्ज था। वंर्किग खसरा नमबर 473 के हाल खसरा नम्बर 567 पर जेठिया पुत्र पोखर का 3/32, नरसी पुत्र पोखर का 3/32 व रमेश पुत्र हनुमान का 3/16 हिस्सा अंकित है। जबकि उक्त आराजी पर व ग्राम राताखेडा की आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। प्रकरण के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली पर नही है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। प्रतिवादीगण भी प्रकरण मे अनुपस्थित रहे है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 10 के पक्ष में रहन दर्ज है। किन्तु हाल इद्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 10 प्रकरण में अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में पारित निर्णय में बैंक रहन का इन्द्राज अप्रभावी रहेगा। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी है।

अतः आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता हैं। ग्राम राताखेडा के खाता संख्या 103/102 किता 17 रकबा 3.21 पर वादीगण को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 9 को 1/2 हिस्से तथा ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 567 रकबा 0.21 पर वादीगण को 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 9 को 3/16 हिस्सा कुल 3/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:19 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामपाली बनाम रमेशचन्द

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 50/2023

पेश करने की दिनांक — 28.03.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :—

आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता हैं। ग्राम राताखेडा के खाता संख्या 103/102 किता 17 रकबा 3.21 पर वादीगण को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 9 को 1/2 हिस्से तथा ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 567 रकबा 0.21 पर वादीगण को 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 9 को 3/16 हिस्सा कुल 3/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक माह सन् **2025** को जारी की गयी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:19 IST
Reason: SelfAttested